	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 17, गुरूवार, शाके 1934–अगस्त 7, 2012 Jyaistha 17, Thursday, Saka 1934–August 7, 2012	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग–1)

अधिसूचना

जयपुर, जून 7, 2012

संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु–1/2008:– राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु–1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 समय–समय पर यथा संशोधित, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं व उनको प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएं जोडे जाने व उनके संबंध में समयावधि नियत करने, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम में संख्या 16 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नया क्रम संख्या 17 एवं उनकी प्रविष्टियॉं जोडी जावेंगी, अर्थात् :–

17	पंचायती राज विभाग	111	प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवासीय भूमि का पट्टा जारी करना	30 दिवस	सरपंच	ग्राम सेवक	विकास अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	–
		112	पूर्व में जारी पट्टे की नकल जारी करना	15 दिवस	सरपंच	ग्राम सेवक	विकास अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	–

राज्यपाल के आदेश से,

आर.पी.जैन

प्रमुख शासन सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

नोटः– ***अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु–1/2008 दिनांक 05.10.2011 में*** सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम में संख्या 16 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् नया क्रम संख्या 17 एवं उनकी प्रविष्टियॉं जोडी गई।